

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक प. 11(4)आयु./2021

जयपुर, दिनांक

08 DEC 2021

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.25(15)आयु./2017 दिनांक 19.11.2020 के अतिक्रमण में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभागान्तर्गत संचालित समस्त चिकित्सालयों/औषधालयों में बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है -

क्र स	औषधालय/ चिकित्सालय	अवधि	बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय
1	राजकीय आयुष जिला चिकित्सालय /चिकित्सालय/औषधालय (ग्रामीण एवं शहरी)	01 अप्रैल से 30 सितम्बर	प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक)
		01 अक्टूबर से 31 मार्च	प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक)
2.	आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर संचालित विभागीय चिकित्सालय/ औषधालय		उपर्युक्तानुसार
3.	विभागीय चिकित्सालय/औषधालय, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिसर में संचालित है।		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार

नोट :- जिन विभागीय चिकित्सा केन्द्रों पर योगाम्बास कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित होता है, उनका समय प्रातःकाल भी 02 घण्टे रखा जावें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

*(आर. एन. शर्मा)*  
श.12.21  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-directorunani@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-सामा./विविध/2021/ 3672

दिनांक:- 9/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उप शासन सचिव, आयुष विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. चिकित्साधिकारी राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय, जिला चिकित्सालय, उपजिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र.....को पालनार्थ।
3. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को देकर लेख है कि उक्त को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक